रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112020-223119
CG-DL-E-18112020-223119

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 488]	**नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2020/कार्तिक 22, 1942**
No. 488]	**NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2020/KARTIKA 22, 1942**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2020

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) (संशोधन) विनियम, 2020

सं. आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.065.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) विनियमन, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) (संशोधन) विनियम, 2020 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) विनियमन, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 2 के उप-विनियम (1) में, खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

   '(घक) "वित्तीय जानकारी" से संहिता के अधीन धारा 3 के खंड (13) के उपखंड (च) के प्रयोजनों के लिए किया गया कोई लोक आख्यापन अभिप्रेत है;'।

3. मूल विनियमों में, विनियम 21 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"21क. लोक आख्यापन का प्रसारण

कोई इनफॉरमेशन यूटिलिटी, ऐसे प्रत्येक लोक आख्यापन का, जो वह प्राप्त करती है या जिस तक उसकी पहुंच है, यथास्थिति, उसकी प्राप्ति या पहुंच की तारीख को अपने ऐसे रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ताओं को प्रसारण करेगी, जो ऐसे कारपोरेट ऋणी के लेनदार हैं जिसके विरुद्ध संहिता के अधीन कोई दिवाला कार्यवाही चल रही है ।"।

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन.-III/4/असा./346/2020-21]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) विनियमन, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 129 में तारीख 31 मार्च, 2017 को अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.009, तारीख 31 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 382 में तारीख 25 जुलाई, 2019 को अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.046, तारीख 25 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनफॉरमेशन यूटिलिटी) (संशोधन) विनियम, 2019 द्वारा किया गया था ।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2020

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Amendment) Regulations, 2020.

No. IBBI/2020-21/GN/REG065. —In exercise of the powers conferred by section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Amendment) Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017, (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 2, in sub-regulation (1), after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

'(da) "financial information" means any public announcement made under the Code, for the purposes of sub-clause (f) of clause (13) of section 3;'.

3. In the principal regulations, after regulation 21, the following regulation shall be inserted, namely: -

"21A. Dissemination of public announcement.

An information utility shall disseminate every public announcement it receives or has access to, on the date of its receipt or access, as the case may be, to its registered users, who are creditors of the corporate debtor undergoing insolvency proceeding under the Code.".

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./346/2020-21]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG009 dated 31st March, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 129 on 31st March, 2017 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Amendment) Regulations, 2019 published *vide* notification No. IBBI/2019-20/GN/REG046, dated the 25th July, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No.266 on 25th July, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM